

**संयुक्त विद्यार्थी परिषद के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र**

नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

मैं यहाँ प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भर रहा हूँ। मैं अपने प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर रहा हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अपने प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को सही ढंग से संलग्न कर रहा हूँ।

क्र.सं.	विषय का नाम	अंकों का प्रतिशत	प्रवेश परीक्षा का प्रकार	अंकों का प्रतिशत
1	भारतीय इतिहास	100	अनुसूचित जाति	50
2	भारतीय साहित्य	100	अनुसूचित जाति	50
3	भारतीय संविधान	100	अनुसूचित जाति	50
4	भारतीय राजनीति	100	अनुसूचित जाति	50
5	भारतीय अर्थशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
6	भारतीय समाजशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
7	भारतीय मनोविज्ञान	100	अनुसूचित जाति	50
8	भारतीय शिक्षाशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
9	भारतीय स्वास्थ्यशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
10	भारतीय पर्यावरणशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
11	भारतीय कलाशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
12	भारतीय सांस्कृतिक विरासत	100	अनुसूचित जाति	50
13	भारतीय धर्मशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
14	भारतीय समाजशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
15	भारतीय अर्थशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
16	भारतीय राजनीति	100	अनुसूचित जाति	50
17	भारतीय समाजशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
18	भारतीय मनोविज्ञान	100	अनुसूचित जाति	50
19	भारतीय शिक्षाशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50
20	भारतीय स्वास्थ्यशास्त्र	100	अनुसूचित जाति	50

1. मैं यहाँ प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भर रहा हूँ। मैं अपने प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर रहा हूँ।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अपने प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को सही ढंग से संलग्न कर रहा हूँ।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अपने प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को सही ढंग से संलग्न कर रहा हूँ।



कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।

8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।

11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

**ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-**

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगुठों
1	अमिता यादव	अध्यक्ष	अमिता यादव
2	संजय सिंह	सचिव	
3	श्याम चार यादव	कोषाध्यक्ष	श्याम चार
4	श्रीलाल यादव	सामान्य सदस्य	श्रीलाल यादव
5	सन्तोष यादव	सामान्य सदस्य	सन्तोष यादव
6	शरत लाल बिन्द	सामान्य सदस्य	शरत लाल बिन्द
7	राजेन्द्र यादव	सामान्य सदस्य	राजेन्द्र यादव
8	राज लाल यादव	सामान्य सदस्य	राज लाल
9	संजिता देवी	सामान्य सदस्य	संजिता देवी
10	शक्ति यादव	सामान्य सदस्य	शक्ति
11	लक्ष्मी देवी	सामान्य सदस्य	लक्ष्मी देवी
12	रिना यादव	सामान्य सदस्य	रिना यादव
13	प्रमिला देवी	सामान्य सदस्य	प्रमिला देवी
14	सीमा देवी	सामान्य सदस्य	सीमा देवी
15	नीशा बिन्द	सामान्य सदस्य	नीशा बिन्द

